



2026:AHC:128845:DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या-763/2026

पंकज वर्मा एवं 2 अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: अनुराग त्रिपाठी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: मु.स्था.अधि., महेंद्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या-64

माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

*(निर्णय माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार द्वारा उद्घोषित)*

1. याची-अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, श्री अनुराग त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित श्री अवनीश त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता की सहायता से श्री अनूप त्रिवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राज्य के लिए श्री शरद चंद्र उपाध्याय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. न्यायालय के नियमों के अध्याय VIII नियम 5 के अधीन यह अंतर-न्यायालयीय अपील विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा रिट-ए संख्या-9155/2026 में पारित आदेश दिनांक 18.06.2026 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा प्रतिवादीगण को तीन सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया गया तथा अंतरिम अनुतोष मांगने वाले आवेदन को अभिवचनों के आदान-प्रदान के बाद विचार किए जाने का निर्देश दिया गया।
3. याची-अपीलकर्तागण ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (इसके पश्चात "आयोग" के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.01.2020 तथा दिनांक 30.04.2026 को घोषित सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) प्रारंभिक परीक्षा-2025 के परिणाम को चुनौती देते हुए रिट-ए संख्या 9155/2026 दाखिल की।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. रिट याचिका में, अपीलकर्तागण ने आयोग को यह आदेश देने हेतु परमादेश रिट की मांग की कि पहले उन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अनारक्षित कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हों, अनारक्षित श्रेणी में स्थानान्तरित करके प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को पुनः घोषित किया जाए तथा इसके पश्चात आरक्षित श्रेणियों के अधीन मुख्य परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची को पुनः निर्धारित किया जाए।
5. यह चुनौती उत्तर प्रदेश लोक सेवाएं (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संक्षेप में, "1994 का अधिनियम") की धारा 3 की उपधारा (6) पर आधारित है। अपीलकर्तागण के अनुसार, आयोग ने लोक नियोजन में आरक्षण को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों के विपरीत, गुणवान आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को खुली श्रेणी में स्थानान्तरण का लाभ दिए बिना, अभ्यर्थियों की श्रेणी-वार स्क्रीनिंग अवैध रूप से की है।
6. अपीलकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आक्षेपित आदेश प्रक्रियागत प्रतीत होता है, फिर भी इसमें अंतिमता के गुण हैं तथा इसलिए यह न्यायालय के नियमों के अध्याय VIII नियम 5 के अर्थ में "निर्णय" (जजमेंट) का गठन करता है।
7. यह अनुरोध किया गया कि एपीओ मुख्य परीक्षा दिनांक 28.06.2026 से 30.06.2026 तक आयोजित होनी निर्धारित है। चूंकि विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने अभिवचन पूरा होने तक अंतरिम अनुतोष आवेदन पर विचार को स्थगित कर दिया, अपीलकर्तागण मुख्य परीक्षा में भाग लेने के अवसर से वंचित हो जाएंगे। यह तर्क दिया गया कि ऐसा स्थगन प्रभावी रूप से अनुतोष को नकारने का परिणाम देता है तथा रिट याचिका को निष्प्रभावी बनाता है।
8. पूर्ण पीठ के आशुतोष श्रोत्रिय एवं अन्य बनाम कुलपति, डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय एवं अन्य [2015 (6) ALJ 383] में दिए गए निर्णय, साथ ही हरिबंश उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (विशेष अपील संख्या 232/2016, दिनांक 18.03.2016 को निर्णीत) तथा केसर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या 456/2025, दिनांक 01.08.2025 को निर्णीत) में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया गया, यह तर्क देने हेतु कि मूल्यवान अधिकारों को प्रभावित करने वाले एक अंतरिम आदेश को अपीलीय समीक्षा के अधीन किया जा सकता है।



9. गुण-दोष के आधार पर, विद्वान अधिवक्ता ने सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2021) 4 SCC 542] तथा दीपेंद्र यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2024 SCC OnLineSC 724] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताते हुए यह प्रस्तुत किया कि गुणवान आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध तब नहीं गिना जा सकता जब उनकी योग्यता उन्हें खुली श्रेणी में विचार किए जाने का अधिकारी बनाती है।
10. आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपील की पोषणीयता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई। यह प्रस्तुत किया गया कि चुनौती के अधीन आदेश न तो किसी मूल अधिकार का निर्णय करता है और न ही किसी महत्वपूर्ण प्रकरण का निर्धारण करता है। आदेश केवल अभिवचन पूरा करने की सुविधा प्रदान करता है जिससे विवाद पर उचित तथ्यात्मक आधार पर विचार किया जा सके।
11. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि प्रारंभिक परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग अभ्यास है जिसका उद्देश्य विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के पंद्रह गुना तक अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करना है। चूंकि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक अंतिम चयन में योगदान नहीं देते, अतः 1994 के अधिनियम की धारा 3(6) इस स्तर पर लागू नहीं होती।
12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि नियंत्रक विज्ञापन विशेष रूप से यह उपबंधित करता है कि आरक्षण लाभ तथा स्थानांतरण निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन, अंतिम चयन के स्तर पर लागू होंगे। उन शर्तों के अधीन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, अपीलकर्तागण को परिणाम घोषित होने के बाद प्रणाली को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
13. अंत में, यह तर्क दिया गया कि परिणाम का कोई भी पुनर्निर्धारण आवश्यक रूप से उन अभ्यर्थियों को प्रभावित करेगा जो पहले से मुख्य परीक्षा हेतु योग्य हो चुके हैं, फिर भी ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को रिट कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया है।
14. हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत प्रतिस्पर्धी दलीलों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।
15. न्यायालय के नियमों के अध्याय VIII नियम 5 के अधीन क्षेत्राधिकार केवल तभी आकर्षित होता है जहां चुनौती के अधीन आदेश "निर्णय" (जजमेंट) के वर्णन को पूरा करता हो। इस अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत आशुतोष श्रोत्रिय (उपरोक्त)



में पूर्ण पीठ द्वारा अधिकारपूर्वक स्पष्ट किए गए हैं। पूर्ण पीठ ने यह धारित किया है कि अभिवचनों के आदान-प्रदान हेतु निर्देश, बिना कुछ अधिक के, अंतरिम अनुतोष के अंतर्निहित अस्वीकृति का गठन नहीं करता। न ही ऐसा आदेश केवल इसलिए अपील योग्य हो जाता है क्योंकि वादी को कार्यवाही की लंबितता के दौरान प्रतिकूल परिणामों की आशंका है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आदेश निर्णायक रूप से एक मूल अधिकार का निर्धारण करता है या अपरिवर्तनीय परिणामों वाले किसी महत्वपूर्ण प्रकरण का निर्णय करता है।

16. उपर्युक्त सिद्धांतों पर परखने पर, दिनांक 18.06.2026 का आदेश विशुद्ध रूप से प्रक्रियागत है। विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने न तो चुनौती के अधीन कार्यालय ज्ञापन की वैधता का निर्णय किया है और न ही अपीलकर्तागण द्वारा उठाए गए आरक्षण मुद्दे की योग्यता पर कोई राय व्यक्त की है। आदेश केवल प्रतिवादीगण को अभिलेख पर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करता है तथा अभिवचन पूरा होने तक अंतरिम अनुतोष पर विचार को स्थगित करता है। अतः हम यह धारित करने में असमर्थ हैं कि आदेश में अंतिमता के गुण हैं जो इसे न्यायालय के नियमों के अध्याय VIII नियम 5 के अर्थ में एक निर्णय (जजमेंट) का गठन करने योग्य बना सकें।

17. हम इस प्रस्तुति को स्वीकार करने में भी असमर्थ हैं कि अंतरिम अनुतोष आवेदन पर विचार का स्थगन, स्वयं में, ऐसी अपूरणीय क्षति का परिणाम देता है जो अपीलीय हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराए। अपीलकर्तागण ने अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है जो यह दर्शाती हो कि 1994 के अधिनियम की धारा 3(6) की उनकी व्याख्या को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी वे अनिवार्य रूप से मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के योग्य अभ्यर्थियों की सूची में शामिल होने को सुनिश्चित कर पाते। अतः अपूरणीय क्षति की दलील एक ऐसी धारणा पर आधारित है जिसका किसी तथ्यात्मक आधार से समर्थन नहीं होता।

18. इसके अतिरिक्त, अपीलकर्तागण द्वारा मांगी गई अंतरिम अनुतोष रिट याचिका में दावा की गई अंतिम अनुतोष के साथ काफी हद तक अतिक्रमित करती है। पुनर्गणित परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देना, सारवान रूप से, स्वयं मूल अनुतोष प्रदान करने के समान होगा। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि अंतिम अनुतोष



सामान्यतः अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती स्तर पर प्रदान नहीं की जानी चाहिए, जिनमें से कोई भी वर्तमान प्रकरण में विद्यमान नहीं दिखाई जाती।

19. फिर भी, तथा विद्वान एकल न्यायमूर्ति के समक्ष लंबित विवाद की योग्यता पर कोई निर्णायक राय व्यक्त किए बिना, हम पाते हैं कि आयोग की ओर से प्रस्तुत दलील को सारहीन नहीं कहा जा सकता। 1994 के अधिनियम की धारा 3(6) "योग्यता के आधार पर चयनित" अभिव्यक्ति का प्रयोग करती है। प्रथम दृष्टया, प्रावधान भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण हेतु केवल अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के उद्देश्य से एक मध्यवर्ती स्क्रीनिंग चरण के बजाय अंतिम चयन के चरण में प्रचालित होता प्रतीत होता है।

20. इसी प्रकार, सौरव यादव (उपरोक्त) में निर्णय अंतिम चयन के संदर्भ में आरक्षण सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित था, जबकि दीपेंद्र यादव (उपरोक्त) में निर्णय मध्य प्रदेश राज्य में भर्ती को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट सांविधिक प्रावधानों पर आधारित था जो स्पष्ट रूप से प्रारंभिक चरण में स्थानांतरण की परिकल्पना करते थे। वर्तमान चयन को नियंत्रित करने वाले लागू भर्ती ढांचे के अधीन हमारे संज्ञान में ऐसा कोई समरूप प्रावधान नहीं लाया गया है।

21. हम इस आपत्ति में भी सारवत्ता पाते हैं कि परिणाम के किसी भी पुनर्निर्धारण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकने वाले अभ्यर्थियों को कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया है। चूंकि अपील पोषणीयता के आधार पर ही असफल होने योग्य है, हम उस मुद्दे को उचित चरण पर विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा विचार हेतु खुला छोड़ते हैं।

22. उपर्युक्त दर्ज किए गए कारणों से, हमारी सुविचारित राय है कि दिनांक 18.06.2026 का आदेश विशुद्ध रूप से अंतरिम तथा प्रक्रियागत प्रकृति का है। यह न तो किसी मूल अधिकार का निर्णय करता है और न ही न्यायालय के नियमों के अध्याय VIII नियम 5 के अधीन अपीलीय समीक्षा के योग्य निर्णय (जजमेंट) के गुण रखता है।

23. विशेष अपील तदनुसार निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार)

24 जून, 2026

रंजीत साहू